राजस्थान सरकार
gृह (गृह-7) विभाग

कर्मकांप प. 7(1)गृह-7/2021

जयपुर, दिनांक: 06.05.2021

आदेश

विषय: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन।

कोरोना महामारी के दूसरी तह के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण एवं राज्य के युवा वर्ग में बढ़ते संक्रमण एवं गृह-7 की संख्या को नियंत्रित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इस उदेश्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पत्तावार्ड आदेश की निरंतरता में दिनांक 10.05. 2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 के आदेशों के अतिरिक्त अन्य दिशा-निदेश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:—

विवाह समारोह के सम्बन्ध में:—

a. कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जोकि इस महामारी पर काफी पाने में एक सराहनीय योगदान है। राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक विवाह—समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31.05.2021 के पश्चात आयोजित कराया जाये ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

b. इस दौरान हुए विवाह समारोह में दुल्हा—दुल्हन, बाराती—घराती काफी संख्या में कोविड पोजिटिव पाये गये हैं। अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, खोजे, बारात—निकायी, प्रीतिबोध इत्यादि की दिनांक 31.05.2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अनुष्ठान कोट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमति होगे जिनकी सूचना DoIT
हारा बनाये गए पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजार, हलवाई, टैंपट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैंपट हाउस एवं हलवाई से समन्वित किसी भी प्रकार के सामान की होम खिलीवरी भी अनुमति नहीं होगी।

c. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटेल परिसर को शादी-समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैंपट व्यवसायियों, कंटॉरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजार वादकों इत्यादि को बुकिंग नहीं करेगा। एईडब्ल्यू बुकिंग हेतु दिया गया अमाऊंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा।

d. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

अन्य गतिविधियाँ :-

e. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त कार्य स्थगित होंगे। इस समय में विस्तृत दिशा-निदेश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

f. संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना जैसे अपने घर पर रहकर ही करें।

g. हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ Attendents की बढ़ती हुई संख्या से संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है अतः संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में उपस्थित Attendant के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा-निदेश जारी किये जायेंगे।
h. समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बासत के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैग्यू, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अत्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमति अनुमत होंगे।

सपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गाँव या फिर गाँव से शहर, एक गाँव से दूसरे गाँव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमति श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

i. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जारिपत्र में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुँचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा और उससे समबंधित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) DoIT को भेजकर CQAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी।

j. समस्त उद्योग एवं निर्माण से समस्तित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। समस्तित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जायेगा जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमति होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्तक्षेप एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं इंडाक्टर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला माजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

k. निर्माण सामग्री से समस्तित दुकानों को चूर लेने की अनुमति नहीं होगी।

माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरस्थ अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

l. जिला प्रशासन द्वारा इंसेंट्र कमांडर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोष ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।
म. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी।
इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कार्यको को परिचय पत्र के साथ आने—जाने की अनुमति होगी।

जिला कलक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा कर्तनमेंट जोन्स के अंदर स्थानीय आव्यूहको के अनुसार उपरोक्त प्रतिवेदन के अलावा अन्य संकृत प्रतिवेदन लगाए जा सकते हैं।

शेष सभी दिशा—निर्देश दिनांक 30.04.2021 को जारी आदेश के अनुरूप होंगे।

(अम्बै शुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव्यूहकार कार्यवाही हेतु :-
1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान किनारा सचिव
4. विशेष सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त समाजीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिदेशक/उप महानिदेशक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर—पश्चिम रेंज, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑपरेटिंग ऑफिस इन्डिया, सांगमनेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधिकारी/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यवाही अधिकारी, जिला परिसर।
18. समस्त प्रदेशवास परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को वापस प्रचार प्रसार हेतु।

(पुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह